BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 249/2025

IN THE MATTER OF:

NARENDRA KUSHWAHA ......APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS ......RESPONDENT(S)

INDEX

S.NO	**PARTICULARS**	**PAGE NO.**
1.	REPLY ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BARABANKI ALONG WITH THE AFFIDAVIT.	**1-6**
2.	**ANNEXURE-P1** A TRUE COPY OF ORDER DATED: 17/09/2025 PASSED BY THE DISTRICT MAGISTRATE BARABANKI.	**7-8**
3.	**ANNEXURE-P2** TRUE COPIES OF ON-SITE INSPECTIONS RECORDS.	**9-64**

THROUGH

Priyanka

Date: 24.09.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 249/2025

IN THE MATTER OF:

NARENDRA KUSHWAHA **APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS **RESPONDENTS**

REPLY ON BEHALF OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BARABANKI ALONG WITH AFFIDAVIT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:-

1. I, Shashank Tripathi, son of Srinarayan Tripathi aged about 34 years, presently posted as District Magistrate, Barabanki, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:
2. The present affidavit is being filed in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal contained in its order dated 21.05.2025 in O.A. No. 249/2025.
3. In the said matter, the grievance of the Applicant relates to alleged encroachments and construction activities on wetlands/waterbodies situated in various parts of District Barabanki.
4. This Hon'ble Tribunal was pleased to issue notice and direct the District Magistrate, Barabanki, along with other respondents, to place on record their response by way of affidavit regarding the present status of the wetlands mentioned in the O.A. order
5. **Wetlands Mentioned in the Proceedings:-**As per the record placed before this Hon'ble Tribunal, the following wetlands/waterbodies were specifically referred to:

Sl. No.	Location (Tehsil)	Name of Wetland	Area (in hectares)
1	Fatehpur	Bhaghar	74.124
2	Haidergarh	Chakaura	41.754
3	Ramnagar	Vangaon	36.840
4	Haidergarh	Bhitri	24.254
5	Deva	Bainatikahar	23.675
6	Barabanki	Kamrava	29.880
7	Ramsanehi Ghat	Saraibarai	18.198
8	Fatehpur	Natkauli	10.726
9	Ramnagar	Khudmau	7.447
10	Harkh	Saddullahpur	4.875
11	Deva	Salarpur	40.170
12	Ramsanehi Ghat	Sarahi	17.591

6. That in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the District Administration undertook a detailed verification exercise which included examination of revenue records such as Khatauni, Khasra, and Nakal extracts to verify the classification of land as pond, jheel, or river; on-site inspections by revenue officials and field staff supplemented by photographic evidence; and inputs from the Forest Department and Tourism Department wherever developmental activities were reported. Further, in accordance with the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, which establish standards for identifying, classifying, and managing wetlands to protect their ecological integrity, the District Magistrate, Barabanki, by order dated 17/09/2025, constituted joint inspection committees comprising

NOTARY Tahsil-Sadar Barabanki 24.3.25

Atul Kumar Singh Tahsil-Sadar Distt. Barabanki Reg.No.57(42)2014 GOVT. OF INDIA

a) Sub-Divisional Magistrate (concerned Tehsil)

b) Block Development Officer (concerned development block)

c) District Forest Officer (Forest Range).

These committees reviewed official revenue and survey records, conducted detailed field inspections with photographic documentation of each identified wetland, and functioned under the supervision of the District Magistrate or his authorised officers. This process is fully consistent with the Rules' mandate that State authorities identify and regulate wetlands through coordinated surveys and reporting. **A true copy of the order dated 17/09/2025 passed by the District Magistrate, Barabanki, is annexed herewith and marked as Annexure P/1**

7. The findings of the Committees are summarized below, organized by location:

A. Wetlands where no encroachment or permanent construction is found neither on wetland nor in the vicinity

i. Wetlands at Khudmau, Chakaura (Akohari), Vanganwa, Saraahi, Natkauli, Saddullahpur, Salarpur, Kamrava, and Bainatikahar are classified in revenue records as pond/jheel (तालाब/झील) and there is no encroachment in the vicinity/catchment area of the said wetland.

ii. Physical inspection confirmed no encroachment, unauthorized construction, concretization, or interlocking tiles in submerged areas.

iii. All these water bodies retain their natural form and ecological character.

iv. **Sarahi and Saraibarai** wetlands are interlinked and situated adjacent to each other.

v. **Khudmau wetland:** No permanent construction or encroachment; submerged areas intact; no cemented roads, embankments, or seating; remains undisturbed.

vi. **Chakoran (Akohari) wetland**: No permanent structures or modifications; noted as seasonal (shrinks in dry season naturally, not due to encroachment).

NOTARY Tahsil-Sader Barabanki 24.9.25

NOTARY Atul Kumar Singh Tahsil-Sader Distt. Barabanki Reg.No.57(42)2014 GOVT. OF U.P.

vii. **Vanganwa wetland**: No unauthorized construction or encroachment; embankments conform to revenue records; no illegal occupation.

viii. **Sarnahi and Saraibarai lakes**: No illegal occupation or alteration; variations in water level are natural; embankments and surroundings as per sanctioned boundaries.

ix. **Naktoli wetland**: No permanent construction or occupation; no cemented roadways, embankments, or seating; original character preserved.

x. **Sandullapur wetland:** No permanent constructions or encroachments; boundaries and lake bed remain intact.

xi. **Salanpur wetland**: No unauthorized development or encroachment; floodplain conforms to official demarcation.

xii. **Kamranwan wetland**: No illegal structures; embankments and inundation area free from construction; matches designated wetland limits.

xiii. **Bainatikarhar wetland:** No unauthorized occupation or alteration; area matches government records; unaffected by illegal activity.

xiv. **Bhitri Wetland:** Revenue records (Khatauni/Khasra) contain no separate entry as pond/jheel.

B. Bhaghar Wetland

i. Revenue records:

- Gata No. 508 (36.282 ha), village Kartariapur, Tehsil Ramnagar — recorded as "river land."
- Gata No. 217 (26.327 ha), village Raindharmau, Tehsil Ramnagar — also recorded as "river land."

ii. Together these parcels form the wetland locally known as Bhaghar Jheel.

iii. Current status: Exists as a riverine stretch; no encroachment or construction.

iv. Additional land: Gata No. 163 (5.476 ha), village Mukouli — recorded in the name of Shri Chandrabhagwan Mandir, Bhaghar Lal Mandir Mukouli (religious trust

NOTARY Tahsil-Sader Barabanki 24.9.25

NOTARY Atul Kumar Singh Tahsil-Sader Distt.-Barabanki Reg.No.57(42)2014 GOVT. OF U.P.

property) and Beautification in regard with tourism-related works (walkways, landscaping, basic amenities) carried out by Tourism and Forest Departments under Government Order dated 07.12.2023.

v. Works are confined to the riverbank and do not alter the ecological character of the wetland.

True copies of on-site inspection records are attached herewith and marked as Annexure P/2

8. The aforesaid on-site inspections concluded that all sites are in due compliance with the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017

i. All inspected wetlands remain free from reclamation, encroachment, or construction, thereby complying with Rule 4(2)(i), which prohibits conversion for non-wetland uses and encroachment of any kind.

ii. The process of identification, survey, and documentation through joint inspection committees involving Revenue, Forest, Irrigation, Pollution Control Board, and other departments fulfills the procedural requirements under Rule 5, ensuring that wetlands are properly identified and mapped.

iii. Activities observed, such as seasonal use of Bhitri and eco-tourism works near Bhaghar Jheel, are consistent with the principle of wise use under Rule 7, as they do not alter the ecological character of the wetlands and are confined to permissible areas

NOTARY Tahsil-Sader Barabanki 24.3.25

9. Preventive and Protective Measures Taken:-The District Administration has issued strict instructions to all Sub-Divisional Magistrates and Tehsildars to ensure that:

- No permanent construction, encroachment, or land-use change takes place within the notified or identified wetlands.
- Any attempt at encroachment is immediately reported and action under relevant provisions of the U.P. Revenue Code, 2006 and environmental laws is initiated.

NOTARY Atul Kumar Singh Tahsil-Sader Distt.-Barabanki Reg.No.57(42)2014 GOVT.OF U.P.

- Regular inspections are being scheduled in coordination with the Forest Department and the Police to monitor sensitive wetlands.
- Awareness has been created at the village level through Gram Pradhans and Panchayats regarding prohibition of dumping, filling, or construction within wetland areas.
- In case of Bhaghar wetland, where developmental works are ongoing, the departments concerned have been reminded that works must remain limited to beautification and cannot interfere with the natural water regime.

10. The District Administration remains fully committed to protecting and preserving wetlands, in compliance with the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, and directions of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY GOVT. OF U.P. Atul Kumar Singh Tahsil-Sader Distt.-Barabanki Reg.No.57(42)2014

NOTARY Tahsil-Sader Barabanki

I Identify the deponent/Applicant/ who has signed/Put.L.T.I. Before me.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above-named, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 10 are true and correct to my knowledge and belief. No part of this affidavit is false, and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Barabanki on this 24th day of September, 2025.

DEPONENT

Date:24/09/2025

THROUGH

Place: New Delhi

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel For State Of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi 110014

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैण्ड दिनांकः 17 सितम्बर, 2025

आदेश

मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 06/26-11(UPSW)/2025-26 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, पिछोर थाना नवाबाद झांसी उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 की प्रति संलग्न करते हुए आवेदक द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि द्वारा अपने प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 में मुख्य रूप से निम्नलिखित तालाब/झील के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलॉकिंग सड़के, टीले/माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य कराए जाने का उल्लेख किया गया है। तालाब/झील का विवरण निम्नवत् हैः-

कमांक	नाम तहसील	विकास खण्ड	वनरेंज	वेटलैंण्ड का नाम (झील/तालाब)
1	2	3	4	5
1	रामसनेहीघाट	पूरेडलई	रामसनेहीघाट	सरांय बरई, सराही
			रामनगर	बनगावॉ
2	रामनगर	सूरतगंज	फतेहपुर	भगहर
3	फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	नकटौली
		निन्दूरा	देवॉ	बैनाटीकरहार
4	हैदरगढ़	हैदरगढ़	हैदरगढ़	चकौरा
		त्रिवेदीगंज	हैदरगढ़	भितरी
		सिद्धौर	हरख	सादुल्लापुर
5	सिरौली गौसपुर	सिरौली गौसपुर	रामनगर	खुर्दमऊ
6	नवाबगंज	देवॉ	देवॉ	सलारपुर
		बंकी	बाराबंकी	कमरावॉ

अतः आवेदक द्वारा उपरोक्त उल्लिखित तालाब/झील के सम्बन्ध में उठाए गए बिन्दुओं की स्थलीय/अभिलेखीय जांच किए जाने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है।

1- उपजिलाधिकारी (सम्बन्धित तहसील)
2- खण्ड विकास अधिकारी (सम्बन्धित विकास खण्ड)
3- क्षेत्रीय वन अधिकारी (सम्बन्धित वनरेंज)

उपरोक्त गठित समिति दिनांक 18.09.2025 को स्थल पर भौतिक/अभिलेखीय जांच कर अपनी संयुक्त आख्या मय संगत अभिलेख/फोटोग्राफ दिनांक 19.09.2025 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी।

संलग्नक-यथोपरि।

17/9/25

(शशांक त्रिपाठी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति
बाराबंकी।

प्रतिलिपि-

1- प्रभागीय वनाधिकारी/सह सदस्य सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), बाराबंकी।
3- उपरोक्त समिति को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति
बाराबंकी।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैंण्ड दिनांकः 17 सितम्बर, 2025

आदेश

मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 06/26–11(UPSW)/2025–26 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, पिछोर थाना नवाबाद झांसी उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 की प्रति संलग्न करते हुए आवेदक द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि द्वारा अपने प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 में मुख्य रूप से निम्नलिखित तालाब/झील के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलॉकिंग सड़के, टीले/माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य कराए जाने का उल्लेख किया गया है। तालाब/झील का विवरण निम्नवत् हैः–

कमांक	नाम तहसील	विकास खण्ड	वनरेंज	वेटलैंण्ड का नाम (झील/तालाब)
1	2	3	4	5
1	रामसनेहीघाट	पूरेडलई	रामसनेहीघाट	सरांय बरई, सराही
			रामनगर	बनगावॉं
2	रामनगर	सूरतगंज	फतेहपुर	भगहर
3	फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	नकटौली
		निन्दूरा	देवॉं	बैनाटीकरहार
4	हैदरगढ़	हैदरगढ़	हैदरगढ़	चकौरा
		त्रिवेदीगंज	हैदरगढ़	भितरी
		सिद्वौर	हरख	सादुल्लापुर
5	सिरौली गौसपुर	सिरौली गौसपुर	रामनगर	खुर्दमऊ
6	नवाबगंज	देवॉं	देवॉं	सलारपुर
		बंकी	बाराबंकी	कमरावॉं

अतः आवेदक द्वारा उपरोक्त उल्लिखित तालाब/झील के सम्बन्ध में उठाए गए बिन्दुओं की स्थलीय/अभिलेखीय जांच किए जाने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है।

1– उपजिलाधिकारी (सम्बन्धित तहसील)

2– खण्ड विकास अधिकारी (सम्बन्धित विकास खण्ड)

3– क्षेत्रीय वन अधिकारी (सम्बन्धित वनरेंज)

उपरोक्त गठित समिति दिनांक 18.09.2025 को स्थल पर भौतिक/अभिलेखीय जांच कर अपनी संयुक्त आख्या मय संगत अभिलेख/फोटोग्राफ दिनांक 19.09.2025 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी।

संलग्नक–यथोपरि।

(शशांक त्रिपाठी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति
बाराबंकी।

प्रतिलिपि–

1– प्रभागीय वनाधिकारी/सह सदस्य सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), बाराबंकी।

3– उपरोक्त समिति को अनुपालनार्थ।

17/9/25

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति
बाराबंकी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ ।

संख्या- 851 / भू0व्य0/मा0रा0ह0अ0/2025 दिनांक 20, सितम्बर, 2025

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-64/26/11(UPSWA)/2025-26 लखनऊ दिनांक 15.09.2025 व पत्र संख्या-06/26-11(UPSWA)/2025-26 लखनऊ दिनांक 11.07.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-249/2025 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 में वादी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर किये गये ओ0ए0 संख्या-249/2025 में उठाये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है ।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि द्वारा अपने प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 में मुख्य रूप से निम्नलिखित तालाब/झील के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलॉकिंग सड़कें, टीले/माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है, तालाब/झील का विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	**नाम तहसील**	**विकासखण्ड**	**वनरेंज**	**वेटलैण्ड का नाम (झील/तालाब)**
1	2	3	4	5
1	रामसनेहीघाट	पूरेडलई	रामसनेहीघाट	सरांय बरई, सराही
			रामनगर	बनगावाँ
2	रामनगर	सूरतगंज	फतेहपुर	भगहर
3	फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	नकटौली
		निन्दूरा	देवां	बैनाटीकरहार
4	हैदरगढ़	हैदरगढ़	हैदरगढ़	चकोरा
		त्रिवेदीगंज	हैदरगढ़	भितरी
		सिद्धौर	हरख	सादुल्लापुर
5	सिरौली गौसपुर	सिरौली गौसपुर	रामनगर	खुर्दमऊ
6	नवाबगंज	देवाँ	देवाँ	सलारपुर
		बंकी	बाराबंकी	कमरावाँ

उपरोक्त उल्लिखित तालाब/झील के संबंध में आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 में उठाये गये बिन्दुओं की स्थलीय/अभिलेखीय जांच किये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है-

1. उप जिलाधिकारी (सम्बन्धित तहसील)
2. खण्ड विकास अधिकारी (सम्बन्धित विकास खण्ड)
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी (सम्बन्धित वनरेंज)

Scanned with OKEN Scanner

96

उक्त समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्यानुसार तालाव/झील की स्थिति निम्न प्रकार से है-

क्र0 सं0	नाम तहसील	विकास खण्ड	वनरेंज	वेटलैण्ड का नाम (झील/ तालाव)	समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्यानुसार विवरण
1	2	3	4	5	6
1	रामसनेहीघाट	पूरेडलई	रामसनेही घाट	सरांय बरई, सराही	तहसील रामसनेहीघाट, परगना रूदौली, विकासखण्ड पूरेडलई के अन्तर्गत स्थित **सरांयवरई** तालाव की गाटा संख्या-552 कुल रकवा 12.7180है0 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। संदर्भित तालाव की उक्त गाटा संख्या का आज दिनांक 18.09.2025 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पूर्व में वर्ष 2018 में वन्य जीव संरक्षण/प्रवासी पक्षियों के प्रवास स्थल के संवर्धन हेतु कतिपय कार्य कराये गये थे । उक्त कार्य के कराने से पूर्व भूमि प्रवंधक समिति सरांयवरई द्वारा दिनांक 17.02.2018 को पारित प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2018 में खण्डजा/कलर्वट एप्रोच रोड/02 अदद आर.सी.सी. गोल हट एवं प्रवासी पक्षियों हेतु मिट्टी से निर्मित माउण्ट बनाये गये थे। वर्ष 2023 में वन विभाग की योजना ईको पर्यटन के विकास के अन्तर्गत वर्ष 2018 में कराये गये कार्यों पर केवल जीर्णोद्धार के कार्य ही कराये गये हैं। वर्तमान समय में उक्त झील में कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है । उपरोक्त भूमि का वर्ष 2021 में मत्स्य पालन हेतु मत्स्य जीवी सहकारी लि. खजुरी के पक्ष में आवंटन स्वीकृत हुआ है। वर्तमान समय में श्री कन्हैय्या लाल निषाद, अध्यक्ष सहकारी समिति लि. खजुरी द्वारा मत्स्य पालन किया जा रहा है । उपरोक्त जलमग्न भूमि पर पाटकर कोई भी निर्माण कार्य पूर्व में अथवा वर्तमान में नहीं कराया गया है । तहसील रामसनेहीघाट व विकास खण्ड पूरेडलई के अन्तर्गत स्थित **सराही** तालाव की गाटा संख्या-137र, 137क, 137ख, 137ग, 137छ, 137ज, 137झ, 137मि0, 137ट, 137ठ, 135ड, 137ढ, 137ण, 137त, 137थ, 137द, 137ध, 137न, 137प, 137फ, 137च कुल 17.9890है0 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। संदर्भित तालाब की उक्त गाटा संख्याओं का आज दिनांक 18.09.2025 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमें वर्तमान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व वन विभाग के द्वारा जलमग्न क्षेत्र को पाटकर सीमेंटेड इंटरलाकिंग सड़के टीले माउण्ट, गोलाकार बैठक कुर्सियाँ आदि के कंकरीट युक्त निर्माण कार्य नहीं पाये गये । वर्तमान में वन विभाग व विकास विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है, न ही तालाब के स्वरूप में कोई परिवर्तन किया जा रहा है।
			रामनगर	बनगावाँ	तहसील रामसनेहीघाट व ब्लाक दरियाबाद के

Scanned with OKEN Scanner

					अन्तर्गत स्थित **वनगावां** तालाब की गाटा संख्या-966मि/4.5620हे0,1025ग/5.2060हे0, 1288/3.3990हे0,1463/12.2420हे0,1025क/0 .2530हे0, 1025ख/0.4050हे0 कुल 26.06हे0 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उक्त तालाब का आज दिनांक 18.09.2025 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमें वर्तमान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व वन विभाग के द्वारा जलमग्न क्षेत्र को पाटकर सीमेंटेड इन्टरलाकिंग सड़कें टीले माउण्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंकरीट युक्त निर्माण कार्य वर्तमान में नहीं पाये गये हैं ।
2	रामनगर	सूरतगंज	फतेहपुर	भगहर	ग्राम कजियापुर, परगना व तहसील रामनगर, बाराबंकी के गाटा संख्या-508/36.282हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नदी के खाते में दर्ज है। इसी तरह ग्राम रैंधरमऊ, परगना व तहसील रामनगर, बाराबंकी के गाटा संख्या-217/26.327हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नदी के खाते में दर्ज है। उक्त दोनों गाटा संख्याएं आपस में मिली हुयी हैं जो **भगहर झील** के नाम से प्रचलित है, जो वर्तमान में जल क्षेत्र है जिस पर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं है । नदी तट पर स्थित ग्राम मुकौली परगना व तहसील रामनगर, बाराबंकी की गाटा संख्या-163/5.476हे0 जोकि श्री चन्द्र भगवान स्थापित मन्दिर भगहर ताल मजरे मुकौली/ प्रबन्धक महन्त गुरु सेवक दास चेला/महंत हरिदास नानक शाही भगहर ताल मजरे मुकौली के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर पर्यटन विभाग एवं वन विभाग द्वारा सौन्दर्यीकरण/मूलभूत सुविधाओं हेतु विकास कार्य कराया जा रहा है । इसके साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-930/2023/आई0/442597/001-41-1002-001-311-2023-CN-1766018 दिनांक 07.12.2023 के क्रम में नदी तट पर सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे नदी क्षेत्र के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ।
3	फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	नकटौली	ग्राम **नकटौली**, परगना व तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी की वर्तमान खतौनी खाता संख्या-550 की गाटा संख्या-542क/10.726हे0 श्रेणी-6(1) जलमग्न भूमि खाते में दर्ज अभिलेख है । उक्त गाटा मौके पर रिक्त हैं । किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं पाया गया।
		निन्दूरा	देवां	बैनाटीक रहार	ग्राम **बैनाटीकरहार**, परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में स्थित गाटा संख्या-713मि0/19.533हे0 भूमि तालाब के रूप में दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि तालाब के रूप में रिक्त पड़ी है । किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नहीं है ।
4	हैदरगढ़	हैदरगढ़	हैदरगढ़	चकौरा	ग्राम **चकौरा**, परगना सुबेहा, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी की वर्तमान खतौनी की गाटा

Scanned with OKEN Scanner

					संख्या-1703मि0/33.7360हे0 'आराजी जिस पर पानी है' के नाम दर्ज अभिलेख है, प्रश्नगत गाटे पर गोमती नदी बहती है, जो भौतिक रूप से वेटलैण्ड के रूप में विद्यमान है । गाटा संख्या में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य/अवैध कब्जा नहीं है तथा उक्त तालाब के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलाकिंग सड़कें, टीले/ माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य होना भी नहीं पाया गया ।
		त्रिवेदी गंज	हैदरगढ़	भितरी	ग्राम **भितरी** की वर्तमान खतौनी में वेटलैण्ड (तालाब/झील) के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है।
		सिद्धौर	हरख	सादुल्लापुर	ग्राम **सादुल्लापुर**, परगना सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी की भूमि गाटा संख्या-359/1.602हे0 वर्तमान अभिलेखों में तालाब के खाते में दर्ज अभिलेख है, उक्त गाटे में मौके पर पानी भरा हुआ है तथा प्रश्नगत गाटे में श्री पंचम औसान जाति कहार निवासी सैदनपुर परगना सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़ को वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य पालन पट्टा हुआ है। गाटा संख्या में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य/अवैध कब्जा नहीं है तथा उक्त तालाब के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलाकिंग सड़कें, टीले/ माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य होना भी नहीं पाया गया ।
5.	सिरौली गौसपुर	सिरौली गौसपुर	रामनगर	खुर्दमऊ	ग्राम **खुर्दमऊ** स्थित तालाब गाटा सख्या-458/10.2380हे0 पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य एवं किसी का अवैध कब्जा नहीं पाया गया साथ ही साथ उक्त तालाब के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलॉकिंग सड़कें, टीले/माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के क्रंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य का होना भी नहीं पाया गया ।
6	नवाबगंज	देवाँ बंकी	देवाँ बाराबंकी	सलारपुर कमरावाँ	**सलारपुर, कमरावां** आर्द्रभूमि/ वैटलैण्ड पर किसी प्रकार की सीमेन्टेड, इण्टरलॉकिंग, सड़के गोलाकार बैठक कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण नहीं किया गया है। आर्द्रभूमि/वेटलैण्ड संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

उक्त समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या दिनांक 18.09.2025 व दिनांक 19.09.2025 मूलरूप में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

20.9.25

(शशांक त्रिपाठी),
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
बाराबंकी ।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में ,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद- बाराबंकी।

विषय - जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति की जाँच रिपोर्ट।

संदर्भ - कार्यालय जिलाधिकारी महोदय , बाराबंकी का पत्रांक 851/ भूमि व्यवस्था / मा0रा0ह0अ0/वैटलेण्ड दिनांक 17.09.2025 ।

महोदय ,

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक के अनुपालन मे सादर अवगत कराना है कि तहसील रामसनेहीघाट परगना रूदौली विकास खण्ड पूरेडलई के अंतर्गत स्थित सरायबराई तालाब की गाटा संख्या 552 कुल 12.7180 हे0 राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। संदर्भित तालाब की उक्त गाटा संख्या का आज दिनांक 18.09.2025 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमे पूर्व मे वर्ष 2018 में वन्य जीव संरक्षण / प्रवासी पक्षियो के प्रवास स्थल के संवर्धन हेतु कतिपय कार्य कराये गये थे। उक्त कार्य के कराने से पूर्व भूमि प्रबंधन समिति सरायबरई द्वारा दिनांक 17.02.2018 को पारित प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2018 में खण्डजा / कलर्वट एप्रोच रोड / 02 अदद आर.सी.सी. गोल हट एवं प्रवासी पक्षियों हेतु मिट्टी से निर्मित माउण्ड बनाये गये थे। वर्ष 2023 में वन विभाग की योजना ईको पर्यटन के विकास के अंतर्गत वर्ष 2018 मे कराये गये कार्यो पर केवल जीर्णोधार के कार्य ही कराये गये है। वर्तमान समय मे उक्त झील मे कोई भी कार्य नही कराया जा रहा है उपरोक्त भूमि का वर्ष 2021 में मत्स्य पालन हेतु मत्स्य जीवी सहकारी लि. खजुरी के पक्ष में आवंटन स्वीकृत हुआ है। वर्तमान समय मे श्री कन्हैय्या लाल निषाद ,अध्यक्ष सहकारी समिति लि. खजुरी द्वारा मत्स्य पालन किया जा रहा है। उपरोक्त जलमग्न भूमि पर पाटकर कोई भी निर्माण कार्य पूर्व में अथवा वर्तमान में नही कराया गया है।

अत: रिपोर्ट सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19.09.2025	19/09/25	19/9/25
(क्षेत्रीय वन अधिकारी)	(खण्ड विकास अधिकारी)	(उपजिलाधिकारी)
रामसनेहीघाट-रेंज	पूरेडलई , बाराबंकी	तहसील – रामसनेहीघाट

GPS Map Camera
Sarai Barai, Uttar Pradesh, India
Vp33+6c9, Sarai Barai, Uttar Pradesh 224119, India
Lat 26.853149° Long 81.702618°
18/09/2025 05:56 PM GMT +05:30
Google

101

सेवा में ,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद- बाराबंकी।

विषय - जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति की जाँच रिपोर्ट।

संदर्भ - कार्यालय जिलाधिकारी महोदय , बाराबंकी का पत्रांक 851/ भूमि व्यवस्था / मा0रा0ह0अ0/वैटलेण्ड दिनांक 17.09.2025।

महोदय ,

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक के अनुपालन मे सादर अवगत कराना है कि तहसील रामसनेहीघाट व विकास खण्ड पूरेडलई के अंतर्गत स्थित सराही तालाब की गाटा संख्या 137र , 137क, 137ख, 137ग, 137छ, 137ज, 137झ, 137मि0, 137ट, 137ठ, 135ड, 137ढ, 137ण, 137त, 137थ, 137द, 137ध, 137न, 137प, 137फ, 137च कुल 17.9890 हे0 राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। संदर्भित तालाब की उक्त गाटा संख्याओ का आज दिनांक 18.09.2025 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमे वर्तमान में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व वन विभाग के द्वारा जलमग्न क्षेत्र को पाटकर सीमेंटेड इंटरलांकिग सडके टीले- माउण्ड , गोलाकार बैठक कुर्सियाँ आदि के कंकरीट युक्त निर्माण कार्य नही पाये गये है। वर्तमान मे वन विभाग व विकास विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य नही कराया जा रहा है , न ही तालाब के स्वरूप में कोई परिवर्तन किया जा रहा है।

अत: रिपोर्ट सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Vishal 19.09.2025 | 19/09/25 | 19/9/25
(क्षेत्रीय वन अधिकारी) रामसनेहीघाट-रेंज | (खण्ड विकास अधिकारी) पूरेडलई , बाराबंकी | (उपजिलाधिकारी) तहसील – रामसनेहीघाट

SARAHJ

पत्रांक / 14-1 दिनॉक- 18/09/2025

सेवा में ,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद बाराबंकी ।

विषय :- जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समित की जांच रिपोर्ट ।

सन्दर्भ :- कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी का पत्रांक 851/भूमिव्यवस्था / मा0रा0ह0अ0/ वैटलैण्ड दिनांक 17.09.2025 ।

महोदय ,

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक के क्रम में सादर अवगत कराना की तहसील रामसेनहीघाट व ब्लॉक दरियाबाद के अंतर्गत स्थित बनगावां तालाब की गाटा संख्या 966मि/4.5620,1025ग/5.2060,1288/3.3990,1463/12.2420, 1025क/0.2530, 1025ख/0.4050 कुल 26.06 है0 राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। उक्त तालाब का आज दिनॉक 18.09.2025 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमे वर्तमान में राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग व वन विभाग के द्वारा जलमग्न क्षेत्र को पाटकर सीमेंटेड इन्टरलाकिंग सड़के टीले - माउण्ड, गोलाकार बैठक , कुर्सियाँ आदि के कंकरीट युक्त निर्माण कार्य वर्तमान में नहीं पाये गये हैं ।

अतः रिपोर्ट सूचना श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)	(खण्ड विकास अधिकारी)	(उपजिलाधिकारी)
रामनगर - रेंज	ब्लॉक दरियाबाद	तहसील रामसनेहीघाट

प्रतिलिपि :- 1. उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट
2. खण्ड विकास अधिकारी ब्लॉक दरियाबाद
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी रामनगर

Scanned with OKEN Scanner

104

GPS Map Camera
Bangawa, Uttar Pradesh, India
Tikait Nagar - Mankapur Rd, Bangawa, Bangawa, Uttar Pradesh 225415, India
Lat 26.925137° Long 81.56073°
18/09/2025 05:19 PM GMT +05:30
Google

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तहसील रामनगर, जनपद बाराबंकी।

संख्याः 238/एस०टी०/ पत्राचार जनपद स्तर-2026 दिनांकः-18 सितम्बर, 2025

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय आदेश संख्या 851/भूमि व्यवस्था / मा०रा०ह०अ०/वेटलैण्ड दिनांक 17 सितम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव, उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 06/26-11(UT'SW)/2025-26 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15 सितम्बर 2025 द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर०टी०आई० कार्यकर्ता के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 में उल्लिखित तालाब झील के सम्बन्ध में उठाए गये बिन्दुओं की स्थलीय/अभिलेखीय जांच किए जाने हेतु समिति का गठन करते हुए दिनांक 18.09.2025 का स्थल पर भौतिक/अभिलेखीय जांच कर संयुक्त जांच आख्या मय संगत अभिलेख/फोटोग्राफ सहित दिनांक 19.09.2025 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.09.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी सूरतगंज एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहपुर रेंज के साथ तहसील रामनगर व ब्लाक सूरतगंज के अन्तर्गत स्थित संदर्भित क्षेत्र की जांच की गयी. जिसके सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान स्थित ग्राम कजियापुर, परगना व तहसील रामनगर, बाराबंकी के गाटा सं0-508/36.282 हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नदी के खाते में दर्ज है। इसी तरह ग्राम रैंधरमऊ परगना व तहसील रामनगर, बाराबंकी के गाटा सं0-217/26.327 हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नदी के खाते में दर्ज है। उक्त दोनो गाटा संख्याएं आपस में मिली हुयी हैं जो भगहर झील के नाम से प्रचलित है, जो वर्तमान में जल क्षेत्र है। जिसपर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं है। नदी तट पर स्थित ग्राम मुकौली परगना व तहसील रामनगर, बाराबंकी की गाटा सं0-163/5.476 हे0 जो कि श्री चन्द्र भगवान स्थापित मन्दिर भगहर ताल मजरे मुकौली/ प्रबन्धक महन्त गुरु. सेवक दास चेला/ महंत हरिदास नानक शाही भगहर ताल मजरे मुकौली के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर पर्यटन विभाग द्वारा सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। किसी का अवैध कब्जा नहीं पाया गया है। साक्ष्य स्वरूप स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न है।

तदनुसार संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

19/9/25

(ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी)
तहसील रामनगर, बाराबंकी।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
जनपद– बाराबंकी।

विषय–कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी के पत्रांक–851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0हे0अ0/वेट लैण्ड दिनांक 17.09.2025 द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक के कम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा स्थलीय जांचोपरान्त सादर अवगत कराना है कि तहसील रामनगर व ब्लाक सूरतगंज के अन्तर्गत सन्दर्भित क्षेत्र स्थित ग्राम कजियापुर परगना व तहसील रामनगर, बाराबंकी की गाटा सं0 508/36.282हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नदी के खाते में दर्ज है। इसी तरह ग्राम रैधरमऊ परगना व तहसील रामनगर जिला बाराबंकी की गाटा सं0 217/26.327हे0 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में नदी के खाते में दर्ज है। उक्त दोनो गाटा संख्याये आपस में मिली हुई है, जो भगहर झील के नाम से प्रचलित है, जो वर्तमान में जल क्षेत्र है। जिसपर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नही है। नदी तट पर स्थित ग्राम मुकौली परगना व तहसील रामनगर जिला बाराबंकी की गाटा सं0 163/5.476हे0 जो कि श्रीचन्द्र भगवान स्थापित मंदिर भगहर ताल मजरे मुकौली/प्रबन्धक महन्त गुरु सेवक दास चेला/महन्त हरिदास नानक शाही भगहर ताल मजरे मुकौली के नाम संकमणीय भूमिधर दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर पर्यटन विभाग एवं वन विभाग द्वारा सौन्दर्यीकरण/मूल भूत सुविधाओं हेतु विकास कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 930/2023/आई0/442597/001-41-1002-001-311-2023-CN-1766018 दिनांक 07.12.2023 के कम में नदी तट पर सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिससे नदी क्षेत्र के स्वरूप में कोई परिवर्तन नही हो रहा है।

अतः रिपोर्ट सूचना श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)	(खण्ड विकास अधिकारी)	ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
फतेहपुर रेंज	ब्लाक सूरतगंज	तहसील–रामनगर ,बाराबंकी

107

BHAGAHAR

BHAGAHAR

BHAGAHAR

BHAGAHAR

BHAGAHAL

संख्या- 930 /2023/आई/1442597/001-41-1002-001-311-2023-CN-1766018

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 07 दिसम्बर, 2023

विषय:- जनपद बाराबंकी में स्थित बघार झील के ईको पर्यटन विकास कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त निदेशक, पर्यटन, उ0प्र के पत्र सं0-6168/ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड/2023-24 दिनांक 18.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रू0 471.01 लाख के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था चयनित करते हुए अप्रेजल समिति द्वारा आकंलित लागत रू0 438.20 लाख के सापेक्ष प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 438.20 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ

कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(8) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(11) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी

निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के वाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के वाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) कार्य की विशिष्टियॉं, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(19) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(21) सोलर लाइट/सोर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु सेन्टेज का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,00,00,000 (रूपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801041000 इको टूरिज्म का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by संजीव कुमार श्रीवास्तव
(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।
Date: 07-12-2023 15:18:41
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
5. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 यूनिट-14, लखनऊ।
11. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी फतेहपुर, जनपद बाराबंकी।

संख्या 1520/एस०टी० दिनॉक 19 सितम्बर 2025

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया आपके आदेश संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैण्ड, दिनांक 17 सितम्बर 2025 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में तालाब/झील के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटड इण्टरलॉकिंग सड़के टीले/माउण्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी की गयी शिकायत के क्रम में तहसील फतेहपुर स्थित ग्राम नकटौली व बैनाटीकरहार के वेटलैण्ड (झील/तालाब) के भौतिक/अभिलेखीय जांच हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी की समिति गठित करते हुये संयुक्त आख्या मय संगत अभिलेख/फोटोग्राफ दिनांक 19.09.2025 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि तहसील फतेहपुर स्थित ग्राम नकटौली व बैनाटीकरहार के वेटलैण्ड (झील/तालाब) की भौतिक/अभिलेखीय जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर, क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहपुर के साथ संयुक्त रूप से की गयी। जिसमें पाया गया कि ग्राम नकटौली परगना व तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 550 की गाटा संख्या 542क/10.726हे0 श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि खाते में दर्ज अभिलेख है। उक्त गाटा मौके पर रिक्त है। किसी प्रकार का अवैध निर्माण नही पाया गया। उद्धरण खतौनी व फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः वांछित आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी फतेहपुर।	खण्ड विकास अधिकारी फतेहपुर।	उप जिलाधिकारी, फतेहपुर बाराबंकी।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 164083202509209

ग्राम क्रमांक : 164083 ग्राम का नाम (परगना) : नकटौली(फतेहपुर) तहसील : फतेहपुर जनपद : बाराबंकी फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00550

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
542क	1) तालाब / --- / ---			542क(1640830542200261)	10.7260	1) 1/1	1) 10.7260	
							10.7260	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 10.7260 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (10.7260)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		542क(1640830542200261)			542क(1640830542200261)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

1) उप जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के अनुमोदन दिनांक 03.02.2020 द्वारा तालाब गाटा संख्या 791/0.493हे0 अर्जुन कुमार पुत्र मूलचन्द्र नि0 अम्बियापुर म0 नकटौली के नाम दिनांक 03.02.2020 से 02.02.2030 तक के लिए 10 वर्षीय मत्स्य पालन हेतु आवन्टित। (डिजिटल हस्ताक्षर: GOURI SHANKAR VERMA / 22-09-2021)

(कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो ... मुहर)

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:GOURI SHANKAR VERMA(REGISTRAR KANOONGO)
दिनांक/समय/स्थान: 19-09-2025 11:51:49 तहसील : फतेहपुर
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है

मुद्रित कर्ता : RAKESH KUMAR तहसील : फतेहपुर
मुद्रित दिनांक एवं समय: [illegible]
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है

GPS Map Camera
Naktauli, Uttar Pradesh, India
Naktauli, Uttar Pradesh 225305, India
Lat 27.205765° Long 81.135824°
18/09/2025 11:59 AM GMT +05:30
Google

DEVBAB-B... /2025

कार्यालय उप जिलाधिकारी फतेहपुर, जनपद बाराबंकी।

संख्या 1522/ एस०टी०   दिनॉक 19 सितम्बर, 2025

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया आपके आदेश संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैण्ड, दिनांक 17 सितम्बर 2025 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में तालाब/झील के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटड इण्टरलॉकिंग सड़के टीले/माउण्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी की गयी शिकायत के क्रम में तहसील फतेहपुर स्थित ग्राम नकटौली व बैनाटीकरहार के वेटलैण्ड (झील/तालाब) के भौतिक/अभिलेखीय जांच हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी की समिति गठित करते हुये संयुक्त आख्या मय संगत अभिलेख/फोटोग्राफ दिनांक 19.09.2025 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि तहसील फतेहपुर तहसील फतेहपुर स्थित ग्राम बैनाटीकरहार के वेटलैण्ड (झील/तालाब) का भौतिक/अभिलेखीय जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी निन्दूरा व क्षेत्रीय वन अधिकारी, देवा के साथ संयुक्त रूप से किया गया। जिसमें पाया गया कि ग्राम बैनाटीकरहार परगना कुर्सी तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में स्थित गाटा संख्या 713मि/19.533हे0 भूमि तालाब के रूप में दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि तालाब के रूप में रिक्त पडी है। किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण नही है। उद्धरण खतौनी व फोटोग्राफ संलग्न है।

अतः वांछित आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

	Digitally signed by ALOK KUMAR VERMA Date: 19-09-2025 13:39:31	Digitally signed by KARTIKEYA SINGH Date: 19-09-2025 12:44:45
क्षेत्रीय वन अधिकारी देवां।	खण्ड विकास अधिकारी निन्दूरा।	उप जिलाधिकारी फतेहपुर, बाराबंकी।

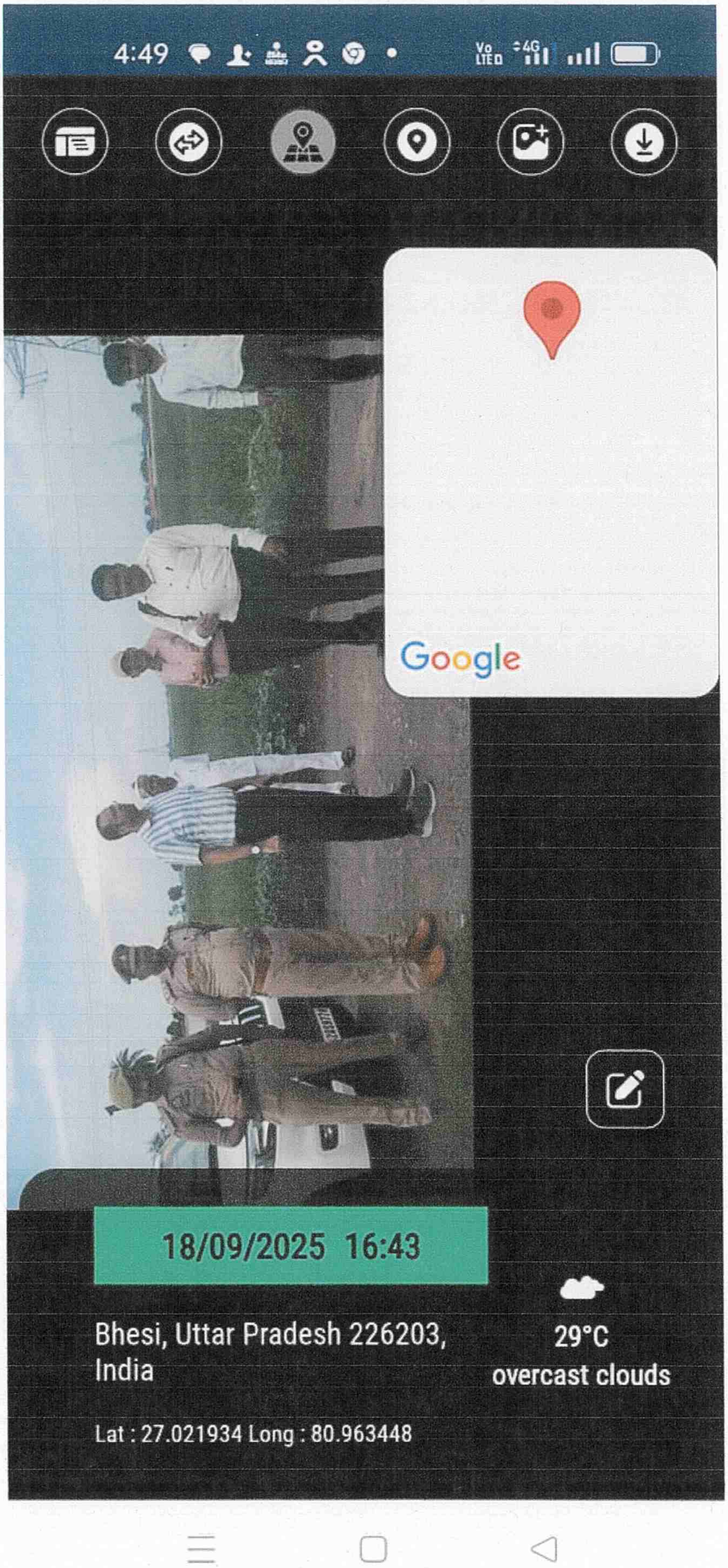
4:49
Google
18/09/2025 16:43
Bhesi, Uttar Pradesh 226203, India
29°C
overcast clouds
Lat : 27.021934 Long : 80.963448

GPS Map Camera
Baina Tikaihar, Uttar Pradesh, India
2xxv+9q5, Baina Tikaihar, Uttar Pradesh 225301, India
Lat 27.04712° Long 80.995309°
18/09/2025 04:42 PM GMT +05:30
Google

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 163914202509595

ग्राम क्रमांक : 163914 ग्राम का नाम (परगना) : बैना टीकरहार(कुर्सी) तहसील : फतेहपुर जनपद : बाराबंकी फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00781

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
713मि	1) तालाब , --- ---			713मि(1639140713200761)	19.5330	1) 1/1	1) 19.5330	
							19.5330	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 19.5330 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (19.5330)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		713मि(1639140713200761)			713मि(1639140713200761)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:VERMA RAMESH CHANDRA(REGISTRAR KANNONGO)
दिनांक/समय/स्थान: 19-09-2025 11:53:34 तहसील : फतेहपुर
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : RAKESH KUMAR तहसील : फतेहपुर
मुद्रित दिनांक एवं समय: 19-09-2025 11:53:34
No: Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

3

124

कार्यालय उप जिलाधिकारी हैदरगढ़, बाराबंकी।

संख्या 340 /र0का0 दिनांक 19 सितम्बर, 2025

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय आदेश संख्या–851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैण्ड दिनांक 17 सितम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21–05–2025 द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता, पिछोर थाना नवाबाद, झांसी उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12–05–2025 में मुख्य रूप से तालाब/झील के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटड इण्टरलॉकिंग सड़के, टीले/माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य कराये जाने का उल्लेख किया गया है। तत्क्रम में तहसील हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत वेटलैण्ड (झील/तालाब) क्रमशः ग्राम चकौरा, भितरी एवं सादुल्लापुर की जांच हेतु त्रिस्तरीय समिति का गठन करते हुए स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत है कि तहसील हैदरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत वेटलैण्ड (झील/तालाब) क्रमशः ग्राम चकौरा, भितरी एवं सादुल्लापुर की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की गयी, जांच आख्या निम्नवत् है:–

1–वेटलैण्ड ग्राम चकौरा, परगना सुबेहा।

ग्राम चकौरा परगना सुबेहा, तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की वर्तमान खतौनी की गाटा संख्या–1703मि0 रकबा 33.7360हे0 "आराजी जिस पर पानी है" के नाम से दर्ज अभिलेख है, प्रश्नगत गाटे पर गोमती नदी बहती है, जो भौतिक रूप से वेटलैण्ड के रूप में विद्यमान है।

2–वेटलैण्ड ग्राम भितरी परगना हैदरगढ़।

ग्राम भितरी परगना व तहसील हैदरगढ़ की स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच की गयी, उक्त ग्राम की वर्तमान खतौनी में वेटलैण्ड (तालाब, झील) के नाम से कोई भूमि दर्ज नहीं है। (स्थल मेमो संलग्न)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज–हैदरगढ़,बाराबंकी

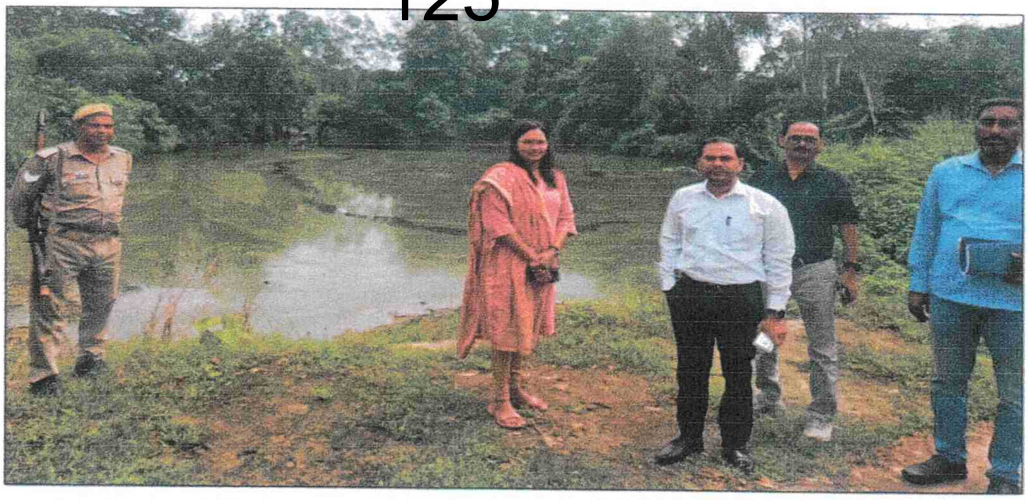

<u>3–वेटलैण्ड ग्राम सादुल्लापुर परगना सिद्धौर।</u>

ग्राम सादुल्लापुर परगना सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी की भूमि गाटा संख्या–359 / 1.602हे0 वर्तमान अभिलेखों में तालाब के खाते में दर्ज अभिलेख है, उक्त गाटे में मौके पर पानी भरा हुआ है तथा प्रश्नगत गाटे में श्री पंचम पुत्र औसान जाति कहार निवासी सैदनपुर परगना सिद्धौर तहसील हैदरगढ़ को वित्तीय वर्ष 2016–17 में मत्स्यपालन पट्टा हुआ है।

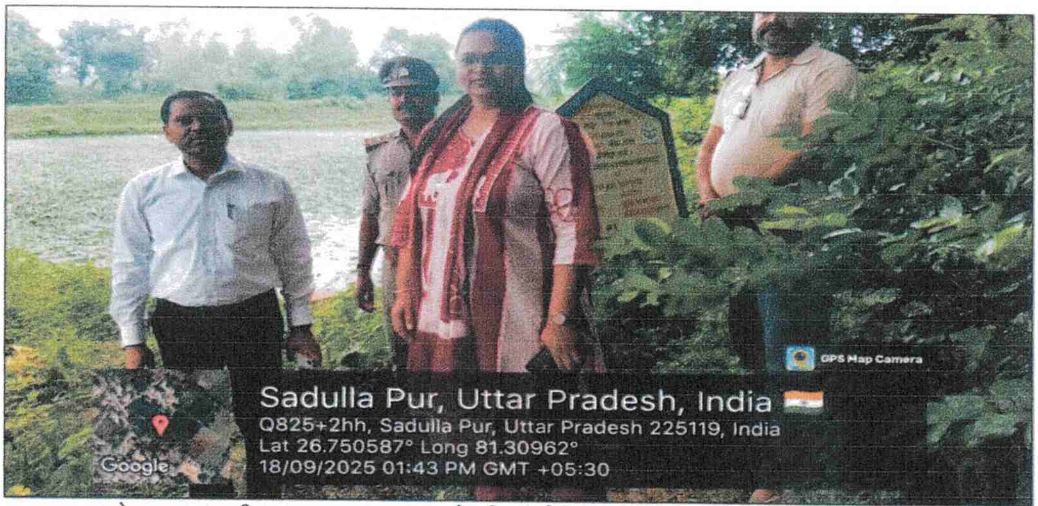

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि भौतिक सत्यापन में पाया गया कि उपरांकित स्थल / गाटा संख्याओं में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य / अवैध कब्जा नहीं है तथा उक्त तालाब के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलांकिग सड़के, टीले / माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सिया आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य होना भी नहीं पाया गया। तद्नुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, हैदरगढ़।	क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरख।	खण्ड विकास अधिकारी, हैदरगढ़ / सिद्धौर,
खण्ड विकास अधिकारी, त्रिवेदीगंज।	तहसीलदार, हैदरगढ़–बाराबंकी।	उपजिलाधिकारी, हैदरगढ़–बाराबंकी।

GPS Map Camera
Akohri, Uttar Pradesh, India
Akohri, Uttar Pradesh 225409, India
Lat 26.689489° Long 81.571988°
18/09/2025 02:50 PM GMT +05:30
Google

BHITAR.S

SADALLAPUR

महोदय,

संलग्न आदेश पत्रांक संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा०रा०इ०अ०/वेटलैण्ड दिनांक 17 सितम्बर, 2025 पर उल्लिखित क्रमांक 4 पर अंकित वेटलैण्ड चकौरा परगना सुबेहा तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी की जांच वन विभाग व रजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा की गई जिसकी स्थलीय व अभिलेखीय जांच आख्या इस प्रकार है

राजस्व ग्राम चकौरा परगना सुबेहा तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी की वर्तमान खतौनी की गाटा संख्या 1703मि रकबा 33.7360 हे० "आराजी जिस पर पानी है" के नाम से दर्ज अभिलेख है प्रश्नगत गाटे से गोमती नदी बहती है जो भौतिक रुप से वेटलैण्ड की दशा में विद्यमान है "छायाचित्र संलग्न"

अतः आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

18/09/2025
लें०पं० रोहना मीरापुर

18/9/2025
RI (H)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 165590202509492

ग्राम क्रमांक : 165590	ग्राम का नाम (परगना) : चकौरा(सुबेहा)	तहसील : हैदरगढ़	जनपद : बाराबंकी	फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)	भाग : 1	(1)खाता संख्या : 00522

श्रेणी : 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1703मि.	1) आराजी जिस पर पानी है / --- / ---			1703मि. (1655901703203961)	33.7360	1) 1/1	1) 33.7360	
							33.7360	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 33.7360 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (33.7360)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		1703मि. (1655901703203961)			1703मि.(1655901703203961)	

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:DEVANAND SRIVASTAVA(REGISTRAR KANOONGO) **दिनाँक/समय/स्थान: 18-09-2025 06:01:07 तहसील : हैदरगढ़** यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	**मुद्रित कर्ता : LAV KANT SRIVASTAVA तहसील : हैदरगढ़** **मुद्रित दिनांक एवं समय:** 18-09-2025 06:01:07 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।	

131

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी पत्रांक संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा०रा० ह० अ०/वेटलैण्ड दिनांक 17/9/2025 के सम्बन्ध में ग्राम भिलरी विकासखण्ड त्रिवेदीगंज पर० व तह० हैदरगढ़ जिला- बाराबंकी की स्थलीय जाँच की गई जाँचोपरान्त पाया गया की ग्राम भिलरी की वर्तमान खतौनी में वेटलैण्ड (तालाब, झील) के नाम से कोई भूमि अंकित नहीं है। स्थल मेमो संलग्न है। रिपोर्ट सादर प्रेषित।

RPSingh
18/09/025
राघवेन्द्र प्रताप सिंह (लेखपाल)
क्षेत्र- भिलरी
तहसील-हैदरगढ़, बाराबंकी

[illegible]
18/09/2025

असल मेमो

आज दिनाँक 18/09/25 को ग्राम-भितरी पर० व तह० हैदरगढ़ जिला-बाराबंकी के कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा०रा०ह०अ०/वेटलैंड के सम्बन्ध में स्थलीय जाँच उपजिलाधिकारी महोदय हैदरगढ़ व वन रेंजर व खण्ड विकास अधिकारी त्रिवेदीगंज व राजस्व निरीक्षक भिलवल की उपस्थित में की गई ग्राम भितरी पर० व तह० हैदरगढ़ जिला-बाराबंकी में गाटा संख्या 714/24.2540हे० नदी गोमती के नाम दर्ज अभिलेख है। तालाब व झील के नाम से कोई भूमि नही पायी जाती है। जाँच के समय ग्राम-प्रधान व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे और साक्ष्यस्वरूप हस्ताक्षर/नि० अंगूठा बनाया।

भवराज

[illegible]

अजय कुमार

रामदेव

मो० शहीद
मो० शहीद
प्रधान
ग्राम पंचायत भितरी
वि० खं० त्रिवेदीगंज-बाराबंकी

पूजा

सुशील

सन्तोष कुमार

मसाराम

छेदा

जगजीवन

परशुराम

सन्तराम

जान मो०

कृष्ण कुमार

इसरार

जगदीश

तुलाराम

अरविन्द कुमार

RDS [illegible]

134

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक संख्या :- 851/भूमि व्यवस्था/मा० रा० ह० अ०/वेटलैण्ड दिनांक 17 सितम्बर 2025 जो कि मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव, उ०प्र० राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ दिनांक 11 जुलाई 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15 सितम्बर 2025 द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ० ए० संख्या-249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21/5/2025 द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर०टी० आई० कार्यकर्ता द्वारा ग्राम० सादुल्लापुर, ब्लाक० सिद्धौर वनरेंज - हरख में स्थित वेटलैण्ड का स्थलीय निरीक्षण की आख्या चाही गई है:-

उपरोक्त के संबंध में स्थलीय निरीक्षण श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय, श्रीमान बी०डी०ओ० महोदय, सिद्धौर एवं श्रीमान वन रेंज अधिकारी, हरख की संयुक्त टीम के द्वारा किया गया। ग्राम० सादुल्लापुर पर० सिद्धौर तह० हैदरगढ जनपद-बाराबंकी मे स्थित गाटा सं: 359/1.602 है वर्तमान अभिलेखो में तालाब के खाते में दर्ज अभिलेख है। उक्त गाटे में मौके पर पानी भरा हुआ है तथा उक्त गाटे पर मत्स्य पालन का पट्टा भी है। जो कि पंचम पुत्र औसान जाति- कहार नि० सैदनपुर पर० सिद्धौर तह० हैदरगढ़ को वित्तीय वर्ष 2016-2017 में हुआ था।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
लेखपाल रसूलपुर
18/9/2025

महोदय,
लेखपाल आख्या उपरोक्तानुसार
सादर सम्प्रेषित।
(हस्ताक्षर)
18/9/2025
R.K.(?)

न्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
य का नाम / रीकृत वाद संख्या अथवा संख्या / आदेश का / नामान्तरण का आधार टल हस्ताक्षर नाम र) / डिजिटल हस्ताक्षर	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

ने के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

क/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

:

शों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

laimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

ve content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

137

R 19/09/25

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सिरौलीगौसपुर, जनपद बाराबंकी।

संख्याः— 716/एस0टी0/पत्राचार जनपद स्तर—2025 दिनांकः—18 सितम्बर, 2025

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय आदेश संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैण्ड दिनांक 17 सितम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य—सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 06/26—11(UPSW)/2025—26 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15 सितम्बर 2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर0टी0आई0 कार्यकर्ता के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 में उल्लिखित तालाब/झील के सम्बन्ध में उठाए गये बिन्दुओं की स्थलीय/अभिलेखीय जांच किए जाने हेतु समिति का गठन करते हुए दिनांक 18.09.2025 का स्थल पर भौतिक/अभिलेखीय जांच कर संयुक्त जांच आख्या मय संगत अभिलेख/फोटोग्राफ सहित दिनांक 19.09.2025 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.09.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी सिरौलीगौसपुर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी रामनगर रेंज के साथ तहसील व विकास खण्ड सिरौलीगौसपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम खुर्दमऊ स्थित तालाब गाटा संख्या 458/10.2380हे0 का संयुक्त रूप से स्थल पर उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन किया गया, उक्त तालाब पर किसी भी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य एवं किसी का अवैध कब्जा नहीं पाया गया साथ ही साथ उक्त तालाब के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलाकिंग सड़के, टीले/माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सिया आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य का होना भी नहीं पाया गया। साक्ष्य स्वरूप स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न है।

तद्नुसार संयुक्त जांच आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी,
सिरौलीगौसपुर—बाराबंकी।

सेवा में ,

जिलाधिकारी महोदय
जनपद बाराबंकी ।

विषय :- जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समित की जांच रिपोर्ट ।

सन्दर्भ :- कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी का पत्रांक 851/भूमिव्यवस्था / मा0रा0ह0अ0/ वेटलैण्ड दिनांक 17.09.2025 ।

महोदय ,

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक के क्रम में सादर अवगत कराना की तहसील व ब्लॉक सिरौलीगौसपुर के अंतर्गत स्थित खुर्दमऊ तालाब की गाटा संख्या 458/10.2380 हे0 राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। उक्त तालाब का आज दिनाँक 18.09.2025 को संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमे वर्तमान में राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग व वन विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कच्चा / पक्का निर्माण कार्य न ही कराया गया न पाया गया है ।

अतः रिपोर्ट सूचना श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Alpana Pandey
(क्षेत्रीय वन अधिकारी)
रामनगर - रेंज

(खण्ड विकास अधिकारी)
ब्लॉक सिरौली गौसपुर

18/09/25
(उपजिलाधिकारी)
तहसील सिरौली गौसपुर

GPS Map Camera
Khurdmau, Uttar Pradesh, India
Lat 26.999307° Long 81.458919°
18/09/25 GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Khurdmau, Uttar Pradesh, India
Lat 26.999316° Long 81.458932°
18/09/25 GMT +05:30
Google

141

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज बाराबंकी।

संख्या :231/एस0टी0–जॉच आख्या/2025–26 दिनांक : 18 सितम्बर, 2025

संयुक्त जॉच आख्या

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के पत्र संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैंण्ड दिनांक 17.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक ईको विकास/सदस्य–सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15.09.2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर.टी.आई कार्यकर्ता, पिछोर थाना नवाबाद झांसी उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 की प्रति संलग्न कर उप जिलाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी की संयुक्त टीम का गठन कर उक्त पत्र में उल्लिखित तालाब/झील के सम्बन्ध में उठाए गए बिन्दुओं की स्थलीय/अभिलेखीय जॉच कर अपनी संयुक्त जॉच आख्या संगत अभिलेख/फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है, कि आज दिनांक 18.09.2025 को सलारपुर आर्द्रभूमि/वेटलैण्ड, में स्थिति झील/तालाब का स्थलीय/अभिलेखीय निरीक्षण तहसीलदार नवाबगंज, बाराबंकी, सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्रीय वन अधिकारी देवां द्वारा किया गया।

निरीक्षणोपरान्त पाया कि, सलारपुर आर्द्रभूमि/वेटलैण्ड पर किसी प्रकार की सीमेन्टेड, इण्टरलॉकिंग, सड़के, गोलाकार बैठक कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण नही किया गया है। आर्द्रभूमि/वेटलैण्ड संरक्षण नियम का उल्लंघन नही किया गया है।

तद्नुसार संयुक्त जॉच आख्या, स्थल मेमों एवं स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी देवां।	खण्ड विकास अधिकारी देवां।	तहसीलदार, नवाबगंज, बाराबंकी।	उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।

Report

SALAR PUR

GPS Map Camera
Barabanki, Uttar Pradesh, India
, Uttar Pradesh 225305, India, Barabanki, Uttar Pradesh
225305, India
Lat 27.058732° Long 81.16032°
18/09/2025 04:03 PM GMT +05:30
Google

144

SALAR PUR

145

स्थल मेमो

आज दिनांक 18/9/2025 को ग्राम सलारपुर परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी के द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, पिठोरा थाना नवाबगंज ... 30 प्र० के प्रार्थना पत्र के सम्बंध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी द्वारा गठित टीम के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। सलारपुर तालाब गाटा संख्या 134/2.239 हे० 173/8.373 हे०, 174/14.175 हे० 218/4.730 हे० कुल 4 किता क्षेत्रफल 29.517 हे० जो अभिलेखों में तालाब दर्ज है। उपरोक्त गाटा संख्याएं आपस में मिली हुयी हैं। तथा झील नुमा तालाब है जिसका स्थलीय निरीक्षण श्रीमान तहसीलदार महोदय नवाबगंज व सहायक विकास अधिकारी व वन रेंजर देवा के साथ संयुक्त रूप से जाँच की गयी जाँच के समय स्थल पर ग्राम प्रधान व ग्रामवासी स्थल पर उपस्थित रहे।
साक्ष्य स्वरूप स्थल पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा बनवाये गये।

सलारपुर
18/09/2025

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)
देवां

ADO(P)
देवा

ग्रा०वि०अ०
सलारपुर

Pankaj Kumar

उमेश चन्द्र

सुमनसिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत सलारपुर
वि०ख०देवां, बाराबंकी

तहसीलदार
नवाबगंज बाराबंकी

शान्ती देवी [illegible]

राम सरन

Deepak

रमाकान्त ... नक

R. 19/09/25

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज बाराबंकी।

संख्या : 232 / एस0टी0–जॉच आख्या / 2025–26 दिनांक : 18 सितम्बर, 2025

संयुक्त जॉच आख्या

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति
बाराबंकी।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी के पत्र संख्या 851 / भूमि व्यवस्था / मा0रा0ह0अ0 / वेटलैंण्ड दिनांक 17.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक ईकों विकास / सदस्य–सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15.09.2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 249 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर.टी.आई कार्यकर्ता, पिछोर थाना नवाबाद झांसी उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 की प्रति संलग्न कर उप जिलाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी की संयुक्त टीम का गठन कर उक्त पत्र में उल्लिखित तालाब / झील के सम्बन्ध में उठाए गए बिन्दुओं की स्थलीय / अभिलेखीय जॉच कर अपनी संयुक्त जॉच आख्या संगत अभिलेख / फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है, कि आज दिनांक 18.09.2025 को कमरावां आर्द्रभूमि / वेटलैण्ड, में स्थिति झील / तालाब का स्थलीय / अभिलेखीय निरीक्षण उपजिलाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी, खण्ड विकास अधिकारी बंकी व क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी द्वारा किया गया।

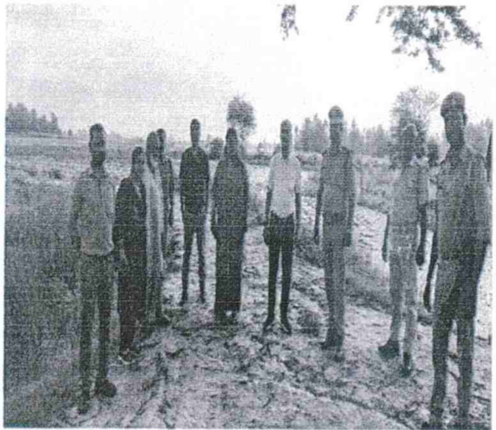

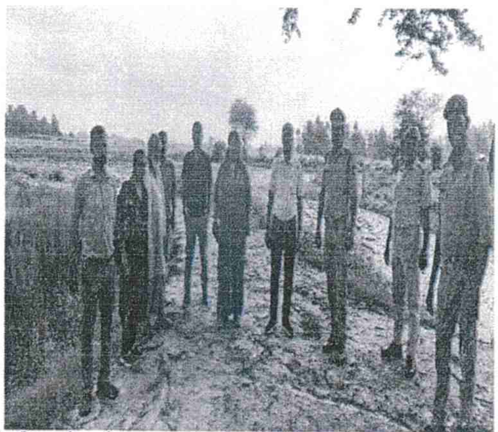

निरीक्षणोपरान्त पाया कि, कमरावां आर्द्रभूमि / वेटलैण्ड पर किसी प्रकार की सीमेन्टेड, इण्टरलॉकिंग, सड़के, गोलाकार बैठक कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण नही किया गया है। आर्द्रभूमि / वेटलैण्ड संरक्षण नियम का उल्लंघन नही किया गया है।

तदनुसार संयुक्त जॉच आख्या एवं स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

18/9/25	18/9/25	18/9/2025
क्षेत्रीय वन अधिकारी बाराबंकी।	**खण्ड विकास अधिकारी, बंकी।**	**उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।**

KAMRANWA

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी। दिनांकः 17 सितम्बर, 2025

संख्या 851/भूमि व्यवस्था/मा0रा0ह0अ0/वेटलैंण्ड

आदेश

मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव, उ0प्र0 राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या 06/26–11(UPSW)/2025–26 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2025 एवं पत्र संख्या 67 दिनांक 15 सितम्बर, 2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि पर्यावरण एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता, पिछोर थाना नवाबाद झांसी उ0प्र0 के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 की प्रति संलग्न करते हुए आवेदक द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

आवेदक श्री नरेन्द्र कुशवाहा आदि द्वारा अपने प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2025 में मुख्य रूप से निम्नलिखित तालाब/झील के जलमग्न क्षेत्र को पाटकर उसमें सीमेंटेड इण्टरलॉकिंग सड़के, टीले/माउन्ट, गोलाकार बैठक, कुर्सियां आदि के कंक्रीटयुक्त निर्माण कार्य कराए जाने का उल्लेख किया गया है। तालाब/झील का विवरण निम्नवत् हैः–

कमांक	नाम तहसील	विकास खण्ड	वनरेंज	वेटलैण्ड का नाम (झील/तालाब)
1	2	3	4	5
1	रामसनेहीघाट	पूरेडलई	रामसनेहीघाट	सरांय बरई, सराही
			रामनगर	बनगावाँ
			फतेहपुर	भगहर
2	रामनगर	सूरतगंज	फतेहपुर	नकटौली
3	फतेहपुर	फतेहपुर	देवाँ	बैनाटीकरहार
		निन्दूरा	हैदरगढ़	चकौरा
4	हैदरगढ़	हैदरगढ़	हैदरगढ़	भितरी
		त्रिवेदीगंज	हरख	सादुल्लापुर
		सिद्धौर	रामनगर	खुर्दमऊ
5	सिरौली गौसपुर	सिरौली गौसपुर	देवाँ	सलारपुर
6	नवाबगंज	देवाँ	बाराबंकी	कमरावाँ
		बंकी		

अतः आवेदक द्वारा उपरोक्त उल्लिखित तालाब/झील के सम्बन्ध में उठाए गए बिन्दुओं की स्थलीय/अभिलेखीय जांच किए जाने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है।

1– उपजिलाधिकारी (सम्बन्धित तहसील)
2– खण्ड विकास अधिकारी (सम्बन्धित विकास खण्ड)
3– क्षेत्रीय वन अधिकारी (सम्बन्धित वनरेंज)

उपरोक्त गठित समिति दिनांक 18.09.2025 को स्थल पर भौतिक/अभिलेखीय जांच कर अपनी संयुक्त आख्या मय संगत अभिलेख/फोटोग्राफ दिनांक 19.09.2025 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी।

संलग्नक–यथोपरि।

(शशांक त्रिपाठी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति
बाराबंकी।

प्रतिलिपि–

1– प्रभागीय वनाधिकारी/सह सदस्य सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, बाराबंकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), बाराबंकी।
3– उपरोक्त समिति को अनुपालनार्थ।

17/9/25

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति

5. 14:59

.../3/2025-CCFECOOF-UPFD

3/274445/202

महत्वपूर्ण/एन.जी.टी. प्रकरण/सुनवाई तिथि 26.09.2025/अनुस्मारक-2

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या- /26-11(UPSWA)- /2025-26 लखनऊ दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
बाराबंकी।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के संबंध में।

सन्दर्भः- Consultant (Judicial) NGT का ई-मेल पत्र दिनांक 30.05.2025, इस कार्यालय का पत्रांक-125/26-11(UPSWA) दिनांक 04.06.2025 एवं पत्रांक-06/26-11(UPSWA) दिनांक11.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 नं0-249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के द्वारा सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ को प्रतिवादी संख्या-5 बनाया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-249/2025 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 का सुसंगत अंश निम्नानुसार है:-

" Issue notice to the respondents for filling their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e filling. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.06.2025 एवं 11.07.2025 द्वारा वादी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर किये गये ओ0ए0 संख्या-249/2025 में उठाये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आख्या अभी तक अप्राप्त है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आख्या 03 दिन के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ध्यान रहे अगली सुनवाई की तिथि 26.09.2025 नियत है।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य-सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या- 67 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी वन प्रभाग/सह सदस्य-सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
Neeraj Kumar
Date: 15-09-2025
14:31:46

(नीरज कुमार)

5. 14:59 lewer 1/274445/202

/3/2025-CCFECOOF-UPFD

महत्वपूर्ण/एन.जी.टी. प्रकरण/सुनवाई तिथि 26.09.2025/अनुस्मारक–2

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या– /26–11(UPSWA)– /2025–26 लखनऊ दिनांकः 15 सितम्बर, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला आर्द्रभूमि समिति,
बाराबंकी।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के संबंध में।

सन्दर्भः– Consultant (Judicial) NGT का ई–मेल पत्र दिनांक 30.05.2025, इस कार्यालय का पत्रांक–125/26–11(UPSWA) दिनांक 04.06.2025 एवं पत्रांक–06/26–11(UPSWA) दिनांक11.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 नं0–249/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के द्वारा सदस्य–सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ को प्रतिवादी संख्या–5 बनाया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–249/2025 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 का सुसंगत अंश निम्नानुसार हैः–

" Issue notice to the respondents for filling their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e filling. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.06.2025 एवं 11.07.2025 द्वारा वादी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर किये गये ओ0ए0 संख्या–249/2025 में उठाये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आख्या अभी तक अप्राप्त है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आख्या 03 दिन के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ध्यान रहे अगली सुनवाई की तिथि 26.09.2025 नियत है।

भवदीय,

(नीरज कुमार)
मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास/सदस्य–सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्र संख्या– 67 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी वन प्रभाग/सह सदस्य–सचिव, जिला आर्द्रभूमि समिति, बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
Neeraj Kumar
Date: 15-09-2025
14:31:46

(नीरज कुमार)